021

प्रार्थीगण शिवशंकर, संदीप कुमार पुत्र दीनदयाल जाति ब्राहम्मण निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 14 एसबीएन्न प.न. 165/215 मु.न. 38 किला नं. 24/2 के पूर्व दिशा में पत्थर लाईन पर उतर से दक्षिण में किला नम्बर 0.007 है. लम्बा व खाता मकबूज राज़ जौहड़ के किला नम्बर 5 में पत्थर लाईन के साथ साथ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने निवेदन किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर प.न. 165/215 मु.न. 38 के किला नम्बर 25 के पश्चिम दिशा में पत्थर लाईन पर उतर से दक्षिण 0.010 है. यानि 123 वर्गफिट व 0.013 है. यानि 8.25 यानि 1 बिस्वा रास्ता का करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक राजस्व/2025/1914 दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प.न. 164/215 मु.न. 37 किला नम्बर 5/2, 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 मे कटानी रास्ता ही नजदीक होना एवं प.न. 166/216 मु.न. 44 किला नं. 1 ता 5 व 165/216 मु.न. 45 किला नं. 5 में रास्ता चलना बतलाया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी से रास्ते की मांग की है वह रास्ता मंजूर शुद्वा रास्त से नही लगता है। तथा अपनी बहस मे जिस काश्तकार के पास कृषि कार्य हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव है उसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत निकटतम मन्जूर शुद्वा रास्ता दिये जाने के स्पष्ट प्रावधान भी होना बतलाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक अन्य लघुतम मार्ग की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण नये सिरे से निकटतम मार्ग के अनुसार संबन्धित को पक्षकार बनाकर रास्ते के लिए नया प्रार्थना पत्र पेश कर अपना अनुतोष प्राप्त करने तथा चल रहे मार्ग को अन्तर्गत धारा राज. भू–राजस्व अधि की धारा 131, 132 एवं राज.भू. अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 व 86 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

आदेश खुले में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया